IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
पी.एम.ए.वाई.–प्रकोष्ठ
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

ई–मेल आईडीः pmay@upavp.com; दूरभाषः 0522–2235904,

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांकः– 1169 /पी.एम.ए.वाई.–प्रकोष्ठ/2020 ( ) दिनांकः– 01-06-2020

सेवा में,

समस्त अधीक्षण अभियन्ता

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत भवनों की सीलिंग कास्ट बढाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–20/2020/532/आठ–1–20–80 विविध/2010 दिनांक 18 मार्च, 2020 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा भवनों की सीलिंग कास्ट रू0 4.50 लाख से बढाकर पुनरीक्षित रू0 6.00 प्रति भवन निर्धारित की गई है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में क्रमशः रू0 1.50 लाख एवं रू0 1.00 लाख कुल रू0 2.50 लाख की सब्सिडी पूर्ववत ही रखी गई है। शेष धनराशि रू0 3.50 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जानी है।

विषयगत योजना के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाओं के पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त (म0) द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए आगामी सप्ताह में पंजीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तालिका–क

क्र0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्माणाधीन/निविदा स्वीकृत भवनों की संख्यां	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	गोण्डा	528	132	396
2	लखनऊ (मोहनलालगंज)	1344	624	720
3	लखनऊ (सरोजनीनगर)	752	144	608
			कुल	**1724**

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों का पंजीकरण बढ़ी हुई लागत पर खोले जाने हेतु परियोजना का रेरा में पंजीयन रू0 6.00 लाख प्रति भवन पर कराते हुए परिषद द्वारा रू0 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण खोले जायें।

तालिका–ख

क्र. सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	रेरा में रू0 4.50 लाख पर हुए पंजीयन एवं पूर्व में खोले गये पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या	पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	बहराइच	192	16	48
2	इटावा	192	19	48
3	हरदोई	528	01	92
4	उन्नाव	240	08	48
5	गाजियाबाद	6000	71	624
6	मुरादाबाद	528	16	92
7	मुरादाबाद	1200	46	144
			कुल	**1096**

उक्त परियोजनाओं में काफी कम संख्या में पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जिसके दृष्टिगत पूर्व में रू0 4.50 लाख की लागत पर हुए पंजीकरण के आवेदकों की पंजीकरण धनराशि वापस करते हुए रेरा में रू0 4.50 लाख पर हुए पुराने पंजीयन को निरस्त कराया जाये तथा अब बढ़ी हुई लागत रू0 6.00 लाख पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों का रेरा में नया पंजीयन कराया जाये। तदनुसार लाभार्थियों की संख्या हेतु परिषद द्वारा रू0 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर नये पंजीकरण खोले जायें।

तालिका–ग

क्र.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत भवनों की संख्या	पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4
1	अम्बेडकरनगर	240	48
2	लखनऊ (अवध विहार)	576	96
3	फतेहपुर	624	96
4	मेरठ	816	96
5	बांदा	240	48
6	कानपुर देहात	480	48
7	कौशाम्बी	144	48
8	बाराबंकी	288	48
9	कन्नौज (छिबरामऊ)	96	48
10	मऊ	192	48
11	हाथरस	144	48
12	रायबरेली	528	96
13	फिरोजाबाद	128	48
14	मैनपुरी	528	96
15	बलरामपुर	288	48
		कुल	960
		योग (क+ख+ग)	3780

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत भवनों के सापेक्ष प्रथम चरण में पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों के अनुसार बढ़ी हुई लागत रू0 6.00 लाख पर रेरा में पंजीयन कराते हुए लाभार्थियों की संख्या हेतु पंजीकरण खोले जायें।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि अपने वृत्त के अधीन परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों के पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों का रेरा में तत्काल पंजीयन कराते हुए रेरा पंजीयन संख्या से पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रश्नगत परियोजनाओं के पंजीकरण परिषद द्वारा यथाशीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में पंजीकरण अनुभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करायी जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ए.के. शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता

पृ0संख्याः–संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, आवास आयुक्त को आवास आयुक्त (म0) के अवलोकनार्थ।
2– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– संयुक्त आवास आयुक्त (पंजीकरण) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

मुख्य अभियन्ता

संख्या:20/2020/532/आठ-1-20-80विविध/2010

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2020

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप" मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1855/आठ-1-17-80विविध/2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप" मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों के निर्माण के संबंध में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ भवनों की सीलिंग कास्ट आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3267/आठ-1-16-80विविध/2010, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्धारित रू0 4.50 लाख प्रति भवन के अनुसार निर्धारित की गयी है।

2- प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक "अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप" के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अभिकरणों द्वारा निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण की तुलनात्मक लागत रू0 6.50 लाख किये जाने एवं लाभार्थियों की मांग पर भवन की ड्राइंग परिवर्तन के कारण कॉरपेट/सुपर बिल्डप एरिया के बढ़ जाने पर प्रोरेटा के आधार पर लागत की बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराये जाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1040/आठ-1-19-106विविध/2018टी0सी0, दिनांक 02 अगस्त, 2019 द्वारा आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। समिति द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण लागत की निम्नवत संस्तुति की गयी है :-

"पूर्व में निर्धारित रू0 4.50 लाख न्यूनतम सीलिंग कास्ट को 22.77 वर्गमी0 कारपेट एरिया के लिए रू0 6.00 लाख तथा 22.77 वर्गमी0 से 30 वर्गमी0 तक के कारपेट एरिया के भवनों को प्रो-रेटा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाय।"

3- समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोंपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की लागत निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

"वर्ष 2019-20 की लागत के आधार पर ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की पूर्व में निर्धारित रू0 04.50 लाख सीलिंग कास्ट को 22.77 वर्गमी0 कारपेट एरिया के लिए सीलिंग कास्ट रू0 6.00 लाख तथा 22.77 वर्गमी0 से 30 वर्गमी0 तक के कारपेट एरिया के भवनों के लिए प्रोरेटा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाय। प्रति ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई पर रू0 2.50 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान की धनराशि रू0 2.50 लाख के अतिरिक्त विक्रय मूल्य की अवशेष धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।"

4- तदनुसार शासनादेश संख्या-1855/आठ-1-17-80विविध/2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप के अन्तर्गत निर्मित होने वाले ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की निर्धारित लागत के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या :20/2020/532(1)/आठ-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
7. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in